न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 96/2011/223 आर टी ए

भजनलाल पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. मु0 शांति बेवा जयसिंह जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. मु0 बिमला पुत्री जयसिंह जोजा आत्माराम जाति जाट निवासी बडविराना तहसील नोहर।
3. कविता पुत्री जयसिंह जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. मु0 सिलोचना पुत्री जयसिंह जाति जाट नाबालिग जरिये बली माताा मु. शांति बेवा जयसिंह जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. मु. बिदामी पुत्री शादीराम जाति जाट निवासी मालिया।
6. मु0 परमेश्वरी पुत्री शादीराम जाति जाट निवासी मालिया।
7. धर्मपाल पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी कर्मसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 23.03.2011 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर प्र0सं0 147/2007 अनवानी भजनलाल बनाम मु0 शांति आदि

उपस्थित :–

श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता अपीलांट

श्री मनीराम सरावग अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ता 4

श्री माडूराम सहारण अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 7

निर्णय दिनांकः–07.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए पेश किया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुए दावा खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि दावा एवं जवाबदावा के मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा तीन तनकीयात कायम की गई जिसमे तनकी सं. 1 व 2 को साबित करने का भार वादी पर था एवं तनकी सं. 3 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। वादी को जिन तनकीयों को साबित करना था उनको दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से भलीभांति साबित किया था उसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने दावा खारिज किया है। रोही मौजा गोरखाना के खसरा नं. 1 की 25.10 बीघा, 38 की

26.00 बीघा कुल 51.10 बीघा खातेदारी व खसरा नं. 6/494 की 5 बीघा भूमि गैरखातेदारी वादी के दादा शादीराम की थी शादीराम के फौत होने पर उसकी पत्नि दाखी, एक पुत्र जयसिंह एवं तीन पुत्रियां कुल पांच वारिस थे, मु. दाखी ने मु0 सन्तो अपनी पुत्री के पक्ष मे दिनांक 12.07.95 को जरिये दस्तबरदारी अपना हक तर्क कर दिया इसलिये सन्तो 2/5 हिस्सा की हकदार हो गई मु. दाखी व सन्तो का देहान्त हो गया सन्तो के कोई सन्तान नही थी। सन्तो के 2/5 हिस्सा का हकदार जयसिंह हुआ इस प्रकार वादग्रस्त भूमि मे 3/5 हिस्सा का हकदार जयसिंह हो गया। सन्तो ने अपने हिस्सा मे से 5 बीघा भूमि रेस्पो0 सं. 7 को बैय कर स प्रकार सन्तो के हिस्सा मे 15.12 बीघा शेष बची। सन्तो के 2/5 हिस्सा का हकदार जयसिंह हुआ और जयसिंह के फौत होने पर उसके वारिस हकदार हुये। हिन्दूउत्तराधिकारी के मुताबिक जो भाई मौजूदा है, को धारा 8 द्वितीय श्रेणी के नियमों के (3) मे भाई हकदार है बहिनो का कोई हक व हिस्सा नही बनता है द्वितीय श्रेणी मे सर्वप्रथम आता है वही हकदार होता है। प्रतिवादी सं. 5 ने विवादित भूमि मे अपना 1/5 हिस्सा होना स्वीकार किया है और 1/5 हिस्सा की दस्तबरदारी वादी के पक्ष मे करवायी है इसलिये प्रतिवादी सं. 6 का भी विवादित भूमि 1/5 हिस्सा है जो वादी स्वीकार करता है इसलिये शेष भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 को खातेदार काश्तकार ना मानकर विचारण न्यायालय ने भूल की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ता 4 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो को स्वीकार करते हुए कथन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए के तहत प्रस्तुत किया गया था जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह उल्लेखित करते हुए दावा खारिज कर दिया कि ''वादी ने स्पष्ट साबित नही किया है कि वाद भूमि मे से 25.18 बीघा भूमि के

वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 बहिब तथा 5 बीघा मे 3/5 हिस्सा के हकदार किस प्रकार व किस कानून के ताबे है। वादी ने ऐसा कोई भी प्रमाणित दस्तावेज पेश नही किया है जिससे यह साबित हो कि सन्तो लाऔलाद फौत हो गई तथा मुताबिक उक्त कानून के तहत वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 का हक व हिस्सा हो तथा प्रतिवादी सं. 5 व 6 का हिस्सा नही हो।'' वादग्रस्त भूमि रोही मौजा गोरखाना के खसरा नं. 1 की 25.10 बीघा, 38 की 26.00 बीघा कुल 51.10 बीघा खातेदारी व खसरा नं. 6/494 की 5 बीघा भूमि गैरखातेदारी अपीलांट/वादी के दादा शादीराम की थी शादीराम के फौत होने पर उसकी पत्नि दाखी, एक पुत्र जयसिंह एवं तीन पुत्रियां कुल पांच वारिस थे, मु. दाखी ने मु0 सन्तो अपनी पुत्री के पक्ष मे दिनांक 12.07.95 को जरिये दस्तबरदारी अपना हक तर्क कर दिया इसलिये सन्तो 2/5 हिस्सा की हकदार हो गई तथा रिकार्ड मे उक्त भूमि 2/5 हिस्सा सन्तो, 1/5 हिस्सा जयसिंह, 1/5 हिस्सा बादामी, 1/5 हिस्सा परमेश्वरी पिसरान शादीराम के नाम दर्ज हो गई। मु. दाखी व सन्तो का देहान्त हो गया सन्तो के कोई सन्तान नही थी। सन्तो ने अपने हिस्सा मे से 5 बीघा भूमि रेस्पो0 सं. 7 को बैय कर दी इस प्रकार सन्तो के हिस्सा मे 15.12 बीघा शेष बची। दौराने दावा रेस्पो0स0 5 बादामी ने भी अपने हिस्सा भूमि की दस्तबरदारी दिनांक 15.02.08 को अपीलांट के पक्ष मे कर दी।

6. प्रकरण मे उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध मे सहकाश्तकारान द्वारा दिये गये अपने हक के त्याग के संबंध मे विवाद है। चूंकि अपीलांट का तर्क है कि मु0 दाखी द्वारा अपने हक हिस्सा भूमि सन्तो के पक्ष मे तर्क कर दी और रिकार्ड मे सन्तो के नाम 2/5 हिस्सा दर्ज हो गया। सन्तो लाऔलाद फौत होने के पर उक्त 2/5 हिस्सा जयसिंह का हुआ इस प्रकार जयसिंह 3/5 हिस्सा का हकदार हुआ है जयसिंह की मृत्यु हो चुकी है तथा बादामी ने भी अपने हक हिस्सा की भूमि अपीलांट के पक्ष मे तर्क कर दी इस प्रकार वादग्रस्त भूमि अपीलांट एवं रेस्पो0 सं. 1 ता 4 बहिब के 4/5 हिस्सा का हकदार हुये। जबकि रेस्पो0 सं. 6/प्रतिवादी सं. 6 का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि एक सहकाश्तकार

अपने हक हिस्सा का त्याग करने के उपरांत शेष सभी सहकाश्तकार उक्त किये गये हक त्याग के बहिब के हकदार होते है, वादग्रस्त भूमि मे जयसिंह, बादामी व परमेश्वरी तीन ही वारिस शेष है इसलिये वादग्रस्त भूमि मे प्रतिवादी सं. 6 को 1/3 हिस्सा दर्ज किया जावें।

7. उपरोक्त परिस्थितियों मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध मे हुई दस्तबरदारियों को मध्यनजर रखते हुए दस्तबरदारी पर विवेचन करने के उपरांत हको निर्धारण करते हुए निर्णय पारित किया जाना आपेक्षित था। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य को अनदेखा करते हुए बिना किसी आधार के दावा खारिज कर दिया जिसकी पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायसंगत नही होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

8. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 23.03.2011 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे वादग्रस्त भूमि के संबंध निष्पादित दस्तबरदारियों के संबंध मे विवेचन करते हुए उभय पक्ष को दस्तावेजी साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देते हुए विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए पुनः नये सिरे निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 28.02.2018 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ